दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

परास्नातक प्रवेश परीक्षा – 2020
(शैक्षणिक सत्र 2020–21)

PG Entrance Examination - 2020
(Academic Session 2020-21)

परास्नातक प्रवेश निर्देशिका
Post-Graduate Admission Brochure

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ,गोरखपुर

अधिसूचना: परास्नातक/अन्य प्रवेश परीक्षा : 2020

पत्रांक: .... दिनांक: ....

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर परिसर में विभिन्न परास्नातक पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों के एम0एस–सी0(कृषि), बी0पी0एड0, पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग) एवं एम0एड0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए एतद् द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण तथा अर्हताएं, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

आवेदन हेतु उपलब्ध परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम

(अ) विश्वविद्यालय आवासीय परिसर में उपलब्ध पाठ्यक्रम:

- **एम0ए0:**

1. हिन्दी	7. दर्शनशास्त्र	13. शिक्षाशास्त्र
2. अंग्रेजी	8. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	14. अर्थशास्त्र
3. संस्कृत	9. प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति	15. गणित
4. उर्दू	10. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	16. सांख्यिकी
5. समाजशास्त्र	11. दृश्यकला	17. भूगोल
6. राजनीति विज्ञान	12. मंचकला	18. मनोविज्ञान

- **एम0एस–सी0:**

1. भौतिकी	4. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	6. गणित
2. रसायनशास्त्र	5. प्राणिविज्ञान	7. सांख्यिकी
3. वनस्पति विज्ञान		

- **एम0काम0**
- **एम0एड0**
- **एल–एल0एम0**
- **एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय)**

(ब) विश्वविद्यालय आवासीय परिसर में उपलब्ध स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम:

- **एम0एस–सी0:**
    1. पर्यावरण विज्ञान
    2. इलेक्ट्रानिक्स,
    3. बायोटेक्नोलाजी
    4. गृहविज्ञान
    5. माइक्रोबायलाजी
- **बी0जे0 (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म)**
- **स्नातकोत्तर डिप्लोमा**– आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन

(स) अनुदानित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमः

एम0एस–सी0 (कृषि)

(द) अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमः

1. **बी0पी0एड0**
2. **पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग)**

प्रवेश परीक्षा–2020 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र0सं0	विवरण	तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रारम्भ	**05.06.2020**
2	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	**30.06.2020**

*** कोविड–19 के दृष्टिगत उ0 प्र0 शासन के निर्देश के अनुसार प्रवेश परीक्षा के आयोजन की तिथियां बाद में विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर घोषित की जायेंगी।**

पंजीकरण शुल्क

क्र0सं0	वर्ग	शुल्क
1	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 800–00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रू0 600–00

महत्वपूर्ण नोटः

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से ही स्वयं फार्म भरें एवं प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। दूसरों से फार्म भरवाने से बचें अन्यथा आपके साथ सायबर–धोखा हो सकता है।
2- फार्म भरने से पहले समस्त निर्देश ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही भरें जिससे नाम, वर्तनी व अन्य कोई भी त्रुटि न हो। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
3. परास्नातक एवं अन्य प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा केवल गोरखपुर में ही निर्धारित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
4. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
5. पूरित ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीद व प्रवेशपत्र का प्रिंट (हार्ड कॉपी) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
6. प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट ही नियमित रूप से देखें।
7- किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम में पंजीकृत आवेदनपत्र दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

(बी0पी0एड0, एम0एड0 एवं पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या पूर्व निर्धारित है।(Table -1)
2. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) निम्नलिखित ढंग से प्रदान किया जायेगा–
   - *(i)* दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए 2 प्रतिशत।
   - *(ii)* परास्नातक एवं विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय आवासीय खण्ड से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत।
   - *(iii)* महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
   - *(iv)* एन.सी.सी. में '**बी**' या '**सी**' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
   - *(v)* राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत **240** घण्टे की सेवा एवं कम से कम **एक विशेष शिविर** में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 प्रतिशत। प्रमाण पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही अधिप्रतिनिधित्व देय होगा।
   - *(vi)* रोवर्स एवं रेन्जर्स के लिए अधिप्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत होगा।
   - *(vii)* सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानकों को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।
   - *(viii)* सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को परास्नातक कक्षाओं में 10 प्रतिशत का अधिभार अनुमन्य है जो कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को भी तद्नुसार प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणीःउपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो अधिप्रतिनिधित्व के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा। 2(**vii**) एवं 2(**viii**) के लिए यह अधिभार सीमा 10 प्रतिशत होगी।

3. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक संकाय में कोटा है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी की सहमति से होगा। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे इंगित करें। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ी जो खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उस अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों तथा विभागों में स्थान निर्धारित है जो निम्नवत् है–

   अ. कला : परास्नातक कला 05/ परास्नातक शिक्षाशास्त्र 01
   ब. विज्ञान : परास्नातक 01
   स. वाणिज्य : परास्नातक 01
   द. एलएल0बी0(त्रिबर्षीय) : 02

4. **आरक्षण : नवीन शासनादेशों के अधीन होगा।**

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए :

- अनुसूचित जाति — 21 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति — 02 प्रतिशत
- अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) — 27 प्रतिशत

(ब) क्षैतिज आरक्षण :

- दिव्यांग — 5 प्रतिशत
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री) — 2 प्रतिशत
- भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य — 2 प्रतिशत
- कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित — 1 प्रतिशत
- कश्मीर विस्थापित एवं गैर प्रवासी कश्मीरी पण्डित/ कश्मीरी हिन्दू परिवार के पाल्य — 5 प्रतिशत
- कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) — 1 प्रतिशत
- एलएल0बी0(त्रिवर्षीय) में 20 प्रतिशत स्थान महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।

(स) शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग–2 संख्या–3/2019/4/12002/का–2/19 टी0 सी0–II दिनांकः 14 मार्च, 2019 के अनुसार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिये आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (*UP Domicile*) के लिए अनुमन्य होगा।

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो।

नोट– प्रवेश समिति ने एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय), एम0एड0 एवं बी0पी0एड0 पाठ्यक्रमों में इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को सिद्धान्ततः स्वीकार किया तथा इसे लागू करने हेतु आवश्यक सीट वृद्धि के लिए सम्बन्धित निकायों यथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एवं NCTE को तत्काल पत्र भेजने का निर्णय लिया। इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (EWS) का आरक्षण सम्बन्धित निकायों से प्राप्त दिशा निर्देश के अधीन होगा।

अवगत कराना है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(द) **अधिसंख्य/सुपरन्यूमरी आरक्षणः किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं होगा।**

- एम.एस.सी.(बायोटेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोबायोलाजी) में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को प्रवेश के लिए आरक्षण कुल सीटों के निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत है।
- विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों को परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण कुल निर्धारित सीट का 0**5 प्रतिशत** है।
- एलएल0बी0(त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में किसी भी पाल्य के लिए सुपरन्यूमरी आरक्षण देय नहीं है। यह आरक्षण निर्धारित सीटों की सीमा के अन्तर्गत ही होगा।

टिप्पणीः

नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित.जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग)	जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/तहसीलदार/ मजिस्ट्रेट
दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य	कमान अधिकारी (Commanding Officer)
विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

<u>परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सामान्य अर्हताएं</u>

1. **एम.ए./ एम.एस–सी./एम.एस.सी. (कृषि)/एम.काम. में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) वर्ष 2017 या उसके बाद उत्तीर्ण की हो, 2016 या इसके पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह नहीं होंगे।** <u>सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।</u>
2. वर्ष 2020 में स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा (क्रमशः एल–एल0बी0 तथा परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु) में सम्मिलित छात्र भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का **प्रमाण पत्र/अंक पत्र** प्रस्तुत करना होगा।
3. **वर्ष 2017, 2018, 2019 में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक या उसके समकक्ष) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।**
4. **जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2020 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र/संतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।**
5. किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की संख्या से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
6. परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा(स्नातक) में 40 प्रतिशत प्राप्तांक की न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हताएँ:

- **एम0ए0/एम0एस–सी0 के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हताएँ:**

  1. **एम0ए0** : हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, दृश्यकला, मंचकला, शिक्षाशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भूगोल, मनोविज्ञान।

  2. **एम0एस–सी0** : भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, गणित, सांख्यिकी, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन।

  अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0/ बी0एस–सी0 उत्तीर्ण हो एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **परास्नातक (कला एवं विज्ञान) प्रथम वर्ष में प्रवेश स्नातक भाग तीन में लिये गये विषयों में से किसी एक विषय में होगा।**

- **एम0ए0 (अर्थशास्त्र) हेतु अर्हता** : अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0 उत्तीर्ण एवं स्नातक भाग तीन में लिये गये विषयों में से एक विषय अर्थशास्त्र हो अथवा जिन्होंने बी0ए0/बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष में गणित/ सांख्यिकी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- **एम0काम0 हेतु अर्हता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0कॉम0 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **एम0एस–सी(कृषि) हेतु अर्हता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी(कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **एम0एस–सी(गृहविज्ञान) हेतु अर्हता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी0(गृहविज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- **एम0एस–सी0(बायोटेक्नॉलोजी) हेतु अर्हता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी0 परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55

प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- **एम0एस–सी0(माइक्रोबायलाजी) हेतु अर्हता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी0 परीक्षा विज्ञान वर्ग (गणित अथवा जीवविज्ञान संवर्ग) में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक तृतीय वर्ष में वनस्पति विज्ञान/ प्राणिविज्ञान/ इंडस्ट्रीयल माइक्रोबायलोजी/ माइक्रोबायलोजी/ बायोटेक्नालोजी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।
- **एम0एस–सी0(इलेक्ट्रानिक्स) हेतु अर्हता** : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस–सी0 परीक्षा उत्तीर्ण एवं स्नातक तृतीय वर्ष में भौतिकी अथवा इलेक्ट्रानिक्स में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।
- **एम0एस–सी0(पर्यावरण विज्ञान) हेतु अर्हता :**

  (अ). मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस–सी0 (लाइफ साइंस)/बी0एस–सी0 (जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे। स्नातक तृतीय वर्ष में वनस्पति विज्ञान/ प्राणिविज्ञान/ इंडस्ट्रीयल माइक्रोबायलोजी/ माइक्रोबायलोजी/ बायोटेक्नालोजी में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है।

  (ब). वे अभ्यर्थी जो (अ) में वर्णित अर्हता रखते है और निम्नलिखित को भी पूर्ण करते हों, अर्ह होंगे

  i. अभ्यर्थी जो सरकार, संस्थानों या सार्वजनिक निकायों या निजी संस्थानों द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए प्रायोजित हैं।
  ii. विदेशी छात्रों/ अनिवासी भारतीयों को विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए अनुमति होनी चाहिए।

- **आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन पाठ्यक्रम परास्नातक डिप्लोमा (PGDDM) में प्रवेश हेतु अर्हता :**

  किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम0/ एल–एल0बी0 पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण या किसी विदेशी विश्वविद्यालय /संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने प्रतिरक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन/अर्थशास्त्र/ भूगोल/ मनोविज्ञान/ अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध/ विधि/ विज्ञान संवर्ग का कोई भी एक विषय स्नातक स्तर पर लिया हो।

- **बी0जे0 (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) में प्रवेश हेतु अर्हता**

  (1) बी0जे0 (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या अन्य किसी संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त किया हो।

  (2)**योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) के उपरान्त तीन वर्ष तक ही कोई अभ्यर्थी बी0जे0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।**

  (3) बी0जे0 एक पूर्णकालिक, नियमित पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की छूट नहीं होगी।

परास्नातक/अन्य प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

परास्नातक/एल–एल.एम. प्रवेश परीक्षा में प्रश्न मूलतः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक/एल–एल.बी. पाठ्यक्रम से पूछे जायेंगे।

पाठ्यक्रम	प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	अवधि
एम0ए0/एम0एस–सी0/ एम0 काम0	स्नातक स्तर	100	02 घण्टे
एल–एल0एम0	एल–एल0बी0 पाठ्यक्रम	100	02 घण्टे
एल–एल0बी0	दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार	100	02 घण्टे
बी0जे0	दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार	100	02 घण्टे

स्नातक विधि (एल–एल0बी0)

1. सामान्य हिन्दी (10 प्रश्न) एवं सामान्य अंग्रेजी (10 प्रश्न) — 20 प्रश्न
2. सामान्य अध्ययन — 30 प्रश्न
3. विधिक अभिरुचि — 50 प्रश्न

पत्रकारिता (बी0जे0)– प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र के दो खण्ड होंगे–

1. पहला खण्ड वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों का 75 अंक का — 75 प्रश्न
2. दूसरा खण्ड विवरणात्मक लघुउत्तरीय प्रश्नों का 125 अंक का — 25 प्रश्न

पाठ्यक्रमः

भारत के प्रमुख समाचार पत्र, हिन्दी के पत्र एवं पत्रिकाएं, उनके सम्पादक, भारत तथा विश्व की प्रमुख संवाद समितियाँ, सम–सामयिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न, संयुक्त एवं ध्रुवीय राजनीति, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, सोवियत संघ का विघटन तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद, सार्क संगठन, ईरान–ईराक, फिलीस्तीन तथा खाडी की समस्यायें, भारत और पड़ोसी देश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंग्लादेश, नेपाल आदि। संयुक्त राष्ट्र और उसकी भूमिका। विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ी, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, इतिहास की प्रमुख घटनाएं तथा तिथियाँ, भारत तथा विश्व का भूगोल, प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार। विश्व तथा भारत के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अलंकरण एवं पुरस्कार। भारत की नयी आर्थिक नीति, उदारीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट तथा पर्यावरण आदि की समस्यायें भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम, कश्मीर में आतंकवाद, सीमान्त एवं पूर्वोत्तर राज्यों की समस्यायें, स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता तथा उनका योगदान। पत्रकारिता एवं जनसंचार से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।

पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिंग)

कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध तत्संबंधी विवरणिका तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल दिल्ली की **वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org पर भी अर्हता, प्रवेश परीक्षा पाठ्यकम संबन्धी निर्देश अवश्य पढ़ लें।**

एम0एड0

कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध तत्संबंधी विवरणिका **अर्हता, प्रवेश परीक्षा पाठ्यकम संबन्धी निर्देश के लिए अवश्य पढ़ लें।**

बी0पी0एड0

कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध तत्संबंधी विवरणिका **अर्हता, प्रवेश परीक्षा पाठ्यकम संबन्धी निर्देश के लिए अवश्य पढ़ लें।**

प्रवेश परीक्षा के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निर्देशः

1. समस्त प्रवेश परीक्षाएं 02 घण्टे की होगी। जिसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का व कुल अधिकतम अंक 200 होगा। **एम0एड0 को छोड़कर किसी प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।**
2. **भाषा व परास्नातक विज्ञान को छोड़कर शेष सभी प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।**
3. वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए ओ0एम0आर0 **उत्तर पत्र** दिये जायेंगे, जिस पर उत्तर अंकित करना होगा। केवल ओ0एम0आर0 उत्तर पत्र का ही मूल्यांकन होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर **उत्तर पत्र** में उस प्रश्न संख्या के सामने बने विकल्पों के **वृतों** में से आप द्वारा चयनित विकल्प को **काले/नीले बालपेन से भरना होगा।**

उदाहरणार्थ–

1. रेखांकित शब्द की शुद्ध बर्तनी चुनिए–

A.सृखंलाओं	○
B.श्रृंखलाओं	●
C.सिरखलाओं	○
D.संख्याओं	○

2. Select the word with the correct spelling

A. Psichology	○
B. Sychology	○
C. Psychology	●
D. Psychlogy	○

आलोक– उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है, एवं इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रवेश पत्र (Admit card)

प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से डाउनलोड करना होगा।

सामान्य निर्देश, चयन प्रक्रिया व प्रवेश

1. न्यूनतम अर्हता वाले और प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक, श्रेष्ठताक्रम एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार होगा।
2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट/सम्बन्धित संकाय या विभाग के सूचना पट्ट पर प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से अर्ह प्रवेशार्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद सम्बन्धित प्रवेशार्थी संकाय/विभाग की प्रवेश समिति के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत होंगे तथा सम्बन्धित अधिकारी प्रवेश सम्पन्न करेंगे। तत्पश्चात् निर्दिष्ट तिथि तक ही नेट बैंकिग/डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करके अपना प्रवेश लेंगे। शुल्क जमा करने के तीन दिन के अन्दर ही सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लेंगे। अन्यथा, उनका प्रवेश निरस्त कर अन्य को वरीयताक्रम में प्रवेश दे दिया जायगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को स्वयं तत्संबन्धी प्रवेश समिति के समक्ष **समस्त मूल प्रमाण पत्रों (अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण–पत्र/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल शहीद, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/अन्तिम संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण पत्र आदि)** एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय के शिक्षक/राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र जमा करेंगे। वांछित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
4. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2019 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश समिति पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करेगी।
5. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष घोषित तिथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता, तो उसका प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
6. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सम्भाल कर रखें।**

7. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित विभाग में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमा कर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।
8. किसी भी संवर्ग (*Category*), उपवर्ग (*Sub-category*) या भारांक (*Weightage*) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
9. आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को तीन वर्ष के भीतर का जाति प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र अवश्य लाना होगा।
10. विश्वविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जाने पर किसी छात्र को विश्वविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।
11. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।
12. विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक का प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त कर दे और किसी भी समय प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिस्थितिनुकूल अपेक्षित संशोधन कर दे।
13. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।
14. प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों के अनुसार है।
15. प्रवेश के सम्बन्ध में यदि कोई अन्यथा स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रवेश समिति के निर्णयानुसार तत्समय कार्यवाही की जायेगी।

विधि संकाय में प्रवेश सम्बन्धी नियम

एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश अर्हताएं

एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के अनुसार एल–एल0बी0 में प्रवेश हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) में क्रमशः न्यूनतम 45 व 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। **प्रवेश के समय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के उपलब्ध अद्यतन् मानक के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया व्यवहरित होगी।**

एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हताएं

एल–एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एल.एल.बी. में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, जबकि यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति पर लागू नहीं होगा। **वर्ष 2016 या इसके पूर्व एल–एल.बी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। वर्ष 2017, 2018 व 2019 में योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 07 एवं 05 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।** एल–एल0बी0 अन्तिम सेमेस्टर के परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी एल–एल0एम0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश के समय उन्हे प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

1. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षा का नियम लागू होगा।
2. योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष से अधिक अंतराल होने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

3. प्रवेश में आरक्षण, वेटेज तथा प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्त करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के सामान्य नियम लागू होंगे।
4. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के पत्र संख्या BCI: D:2108 /2018(LE/Std. 13/14/15.8.2018 दिनांक 06.09.2018 के अनुसार एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) में सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक दशा में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) में 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त से अधिक अंक प्राप्त स्नातक/परास्नातक अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठताक्रम के आधार पर किया जायेगा।
5. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वर्ष 2017 या उसके बाद किसी विश्वविद्यालय के स्नातक/परास्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की समकक्ष उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वर्ष 2020 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम एक नियमित एवं पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसके साथ अभ्यर्थी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/शोध) में अध्ययन नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी नौकरी में हैं या अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है विधि स्नातक प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
7. एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम कक्षाओं में लेक्चर एवं ट्यूटोरियल प्रणाली से अध्यापन होता है। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य नियमों के अनुसार व विधि संकाय के अध्यादेशों के अन्तर्गत सभी कक्षाओं में उपस्थिति का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होता है। विधि तृतीय वर्ष में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सभी चार विषय में भी उपस्थिति के यही नियम लागू होते हैं। ट्यूटोरियल एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परीक्षा में उनुपस्थित छात्रों की परीक्षा बाद में नहीं की जाती है।
8. अध्ययन–अध्यापन का माध्यम हिन्दी है, किन्तु एल–एल0बी0 द्वितीय वर्ष में लीगल लैंग्वेज अनिवार्य है, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का भी सामान्य ज्ञान आवश्यक है।
9. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा में अंक सुधार के लिए आवेदन किया है और वे प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह पाये गये हैं। **ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होने पर अपने अंक सुधार की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी। यदि अंक सुधार का परिणाम तब तक नहीं आया है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश नहीं पा सकेंगे।**
10. **वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक/परास्नातक) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एल–एल0बी0 (त्रिवर्षीय) प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार पूर्णांक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।**
11. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2020 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश समिति पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करेगी।
12. **प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 35 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत अंक पाने पर ही श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उनके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।**
13. विधि स्नातक भाग एक में एक बार प्रविष्ट छात्र ने यदि अनुत्तीर्ण होने के कारण या परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अपने अवसर का उपयोग नहीं किया है तो वह पुनः प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा।
14. प्रत्येक अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश के समय जमा करना होगा। **यह नियम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर से उत्तीर्ण छात्रों पर भी लागू होगा।**
15. यदि प्रवेशार्थी ने किसी विश्वविद्यालय के पत्राचार के पाठ्यक्रम की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका प्रवेश तभी किया जायेगा जब वह प्रवेश समिति के समक्ष इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उस विश्वविद्यालय की पत्राचार डिग्री इस विश्वविद्यालय की नियमित पाठ्यक्रम डिग्री के समकक्ष है।
16. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष घोषित तिथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता, तो उसका प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
17. विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे और किसी भी समय प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिस्थितिनुकूल अपेक्षित संशोधन कर दे।

Table-1

सत्र 2020–21 में स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/अन्य प्रवेश हेतु विषय तथा निर्धारित सीटें

पाठ्यक्रम	निर्धारित सीट	इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (EWS) आरक्षण प्रावधान को समाहित करते हुए कुल सीट
हिन्दी	120	150
अंग्रेजी	120	150
संस्कृत	120	150
उर्दू	60	74
समाजशास्त्र	120	150
राजनीतिशास्त्र	120	150
दर्शनशास्त्र	60	74
मनोविज्ञान	45	56
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	120	150
प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	120	150
भूगोल	50	62
दृश्य कला	50	62
मंच कला	30	36
शिक्षाशास्त्र	50	62
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	50(एम0ए0 + एम0एस–सी0)	62
सांख्यिकी	20(एम0ए0 + एम0एस–सी0)	24
गणित	120(एम0ए0 + एम0एस–सी0)	150
भौतिकी	50	62
रसायनशास्त्र	60	74
वनस्पतिशास्त्र	50	62
प्राणिविज्ञान	50	62
पर्यावरण विज्ञान	20(16+4 Paid Seat)	20+4 Paid Seat
इलेक्ट्रानिक्स	15	18
माइक्रोबायोलाजी	20	24
बायोटेक्नालाजी	20	24
गृहविज्ञान	14	16
आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	50	62
एम0काम0	120	150
एम0ए0 अर्थशास्त्र	120	150
एल0एल0एम0	30	36
एम0एस0सी0 (कृषि)	15 x15 (प्रति विषय)केवल महाविद्यालयों में	18 x18
एल0एल0बी0*	300 बार कौंसिल के आदेश के अधीन	
एम0एड्0 (विश्वविद्यालय केन्द्र तथा महाविद्यालयों में)*	50+(100 महाविद्यालयों में)=150 NCTEके अधीन	
बी0पी0एड्0 (केवल महाविद्यालयों में)	150 NCTEके अधीन	
पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग	20 (केवल गोरखनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग में)	22
बी0जे0	50	